

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टॉक)

बनाम

किस्म मुकद्दमा.....नम्बर

सन्...20

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
-5-17	<p>आज फरावली कैम्प कोर्टि गजास्व लोक अडासत अउर सेवा केन्द्र गजम पेचायत बापवास पर पेश हुइ। संक्षेप मे प्रकरण इत प्रकार हे कि वारीगण के खतियारी एवम कहेजे वास्त की आशगीपत खाला संख्या 118 खतरा नं 426 रफवा 0.70, 2907.431 रफवा 0.03, अं भु. वाठ कुल मिला 2 कुल रफवा 0.73 हे। हप्ता खाला संख्या 119 2907.420 रफवा 0.54, 2907.423 रफवा 0.22, 2907.425 रफवा 0.20 कुल मिला 3 कुल रफवा 0.96 हे। एकर वाके गजम काव्याणपुरा तन्वीस उदियारा निवासा शेक हे। वरिष्ठ आशगीपत वारीगण के प्रविज अखिर पिता स्थं सोभासिंह के खतियारी एवम कहेजे वास्त की भी, जिसे वारीगण अपने पिता के संगप से ही कहेजा वास्त करते चले आ रहे हे। वारीगण की अंतरनिधकारी एवम जायज वारीस हे, उनके अखला अन्य कोई अंतरनिधकारी नही हे। वारीगण के पिता सोभासिंह के जीवनकाल मे ही भुरखाडि का डेकान्ट लो गया था। गेन्डखाडि का डेकान्ट दिनांक 28-10-08 को लो गया हे परन्तु गजास्व रिफाडि मे भुरखाडि व गेन्डखाडि का नाम गखत रूप से अंकित कर दिया गया, जबकि भुरखाडि व गेन्डखाडि मोपुड ही नही हे। जबकि वारीगण के अन्य खालो मे भी सोभासिंह के फौली के नामांतरकरण मे वारीगण का नाम अंकित मिला उभा हे।</p> <p>प्रकरण इज रीजमे मिला जावे। खतियारी को अखिरे सम्मन तख्त मिला गया।</p>	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

वादीगण अजुग उतिपारीगण कि ओर से
तहसीलदार उपग तहसीलदार उनियास ने जवाब
पसुदत किया। जवाब में बताया कि गणम करपाणपुरा
में ब्यसरा नं० 426, 431, 420, 423, 425 में डर्ज गेन्डु
बाडि बेवा सोभागसिंह व भूरबाडि पुरी सोभागसिंह
का नाम विरासतम किन्ड उत्तराधिकारी नियम के
अन्तर्गत डर्ज हुआ है। विधिक उत्तराधिकार से डर्ज
गोतेदारी अधिकार को बिना नामांतरण प्रक्रिया
के कराया जाना न्यायविरत नहीं है।

परावली में उपलब्ध इन्फोर्म व जवाब का अवलोकन
किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन से वादीगण
का वाद सन्निहित नहीं होने से खतीरज किया
जाता है। परावली केसस शुमार नोकर नम्बर से
काम तो परावली दफतर डाखिल किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियास